न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री कैलाश चन्द्र

अपील संख्या– 48/18 तारीख रज्जू–27/04/18

1 राजवीर सिंह पुत्र रामसिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत पेशा प्राईवेट नौकर निवासी रायपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

2 राजेश कंवर पुत्री रामसिंह पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी रायपुरा हाल निवासी ग्राम बांसडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।

3 सुमन कंवर पुत्री रामसिंह पत्नि बलराम सिंह उम्र 33 वर्ष जाति राजपूत निवासी रायपुरा हाल निवासी ग्राम बांसडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।

4 सुनिता कंवर पुत्री रामसिंह पत्नि युवराज सिंह जाति राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी रायपुरा हाल निवासी देवली तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

----अपीलान्ट

बनाम

1. बनाजी पुत्र श्योराम जाति कीर उम्र 36 वर्ष निवासी रायपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर ।

–रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 17.12.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम रायपुरा के नामान्तकरण संख्या 81 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने ग्राम रायपुरा में स्थित अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण खारिज किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 81 निर्णय दिनांक 10.07.2015 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को कोई नोटिस दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में की गई है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का नोटिस दिया जाता तो वे अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करते तो यह आदेश कदापि नहीं होता इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त विक्रय पत्र सेटलमेन्ट से पहले का है। उस समय रामसिंह बीमार था तथा चलने फिरने योग्य नहीं था तथा नशें का भी आदि था।इस अवस्था में उक्त विकय पत्र में रामसिंह के द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये है अथवा नहीं पता नहीं चलता है तथा उक्त वाद आराजीयात ग्राम पंचायत ईसरदा में स्थित है। जिसका निर्णय अदालत मातहत द्वारा न्याय आपके द्वारा कैम्प ग्राम पंचायत ईसरदा मे ना कर ग्राम पंचायत भगवतगढ में न्याय आपके द्वारा के अर्न्तगत किया है। जो ईसरदा से 40 कि0मी0 दूर है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पों0 सं0 1 द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत कर गलत निर्णय पारित करवा दिया गया है। जो निरस्त योग्य है। उक्त वाद आराजीयात पैतृक है। जिसे अकेले रामसिंह को बेचने का कोई अधिकार नही है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 81 निर्णय दिनांक 10.07.2015 वाके ग्राम रायपुरा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। अपीलान्ट को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिए था। जो अपीलान्ट द्वारा नहीं किया गया है। अतः नामान्तकरण खारिज नहीं किया जा सकता है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तकरण संख्या 81 निर्णय दिनांक 10.07.2015 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त नामान्तकरण अदालत मातहत द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा द्वारा राजस्व लोक अदालत में मु0नं0 111/15 निर्णय दिनांक 12.06.2015 की पालना में तस्दीक किया गया है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा की पत्रावली का अवलोकन किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 09.06.15 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण खोला जावें। उक्त प्रार्थना पत्र पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट ली गई। पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद–अराजीयात रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रय की जा चुकी है। लेकिन पूर्व में बैक रहने के कारण नामान्तकरण तस्दीक नहीं हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त विक्रय पत्र सेटलमेन्ट से पहले का है। उस समय रामसिंह बीमार था तथा चलने फिरने योग्य नहीं था तथा नशें का भी आदि था।इस अवस्था में उक्त विक्रय पत्र में रामसिंह के द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये है अथवा नहीं पता नहीं चलता है। यदि वकील अपीलान्ट को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में किसी भी प्रकार की कमी अथवा विक्रता रामसिंह के हस्ताक्षर सही प्रतीत नहीं होते है तो अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त करने हेतु वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा उक्त नामान्तकरण न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा के निर्णय की पालना में खोला गया है तथा न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा उक्त निर्णय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। अतः मेरे अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय सही व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 81 निर्णय दिनांक 10.07.2015 वाके ग्राम रायपुरा यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.12.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chander
Date: 2020.02.06 13:33:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: